

निर्णय बड़जलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 88/2021

बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद। -वादी-

-बनाम-

1. वृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
2. रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
3. रामहेत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
4. रोशनबाई पत्नी बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। -प्रतिवादीगण-

वादपत्र धारा 88, 89, 53 आरटीएक्ट

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :-

1. श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादी)
2. श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि :-

- यह कि वादी व प्रतिवादीगण के शामिलती खाते एवं कब्जेकाश्त की ग्राम रेलावद तहसील सांगोद में निम्नलिखित आराजीयात स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 2/7 निहित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

- विवरण आराजी -

कं. सं.	खाता नम्बर	खसरा नंबर	रकबा
1	48	228	0.21
		229	0.65
		230	0.33
		231	0.33
		233	0.84
		241	0.30
		242	0.07
		245	0.07
		262	0.20
		273	0.28
		290	1.68
		344	0.45



345	0.16
372	1.60
373	0.01
374	1.58
375	1.50
376	1.50
399	1.47
77	0.03
79	0.03

कुल 21 विक्ता की 13.39 हैक्टर

• उक्त वर्णित आराजी वादी के दादा एवं प्रतिवादीगण को अपने पिता लक्ष्मीनारायण जी से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण का पैतृक सजरा वादपत्र में अंकित है। उक्त वर्णित आराजी में लक्ष्मीनारायण जी की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण आराजी में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज हुआ। बिरधीबाई व केदारबाई ने अपने हिस्से 1/7 में से 1/4 हिस्सा जरिये विक्रय विलेख रोशन बाई के नाम से तथा सुन्दरबाई, बिरधीबाई व केदारबाई ने अपने हिस्से में से 1/4 हिस्सा रिलीज कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम से कुल 1/4 आराजी दर्ज की जानी थी जिसमें वादी के नाम 5/28 वां हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादी के कुल 2/7 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है। वादी के दादा लक्ष्मीनारायण जी की मृत्यु के बाद एवं बहिनों द्वारा रिलीजडीड कर दिये जाने में वादी के 5/28 आराजी दर्ज की जानी चाहिये थी जो नहीं की गई जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज दर्ज होने से विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर प्रत्येक 1/4 आराजी रोशनबाई की सहित काशत कर रहे हैं। जिससे वादी को वाद प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में हिस्सा सही दर्ज करवाकर अपने हिस्से में आने वाली आराजी मौके पर कब्जे अनुसार पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाना आवश्यक हो गया है तथा शेष प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4 एवं प्रतिवादी कम 4 लगायत का 1/14 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्त कर कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मौके पर आराजी पृथक-पृथक की जाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक दर्ज करने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

• अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न शिकी फरमाया जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का 5/28 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी 4 का 1/14 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जावें। राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरस्त करने उपरान्त मौके पर पारिवारिक विभाजन अनुसार आराजी पृथक की जाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। पक्षकार पारिवारिक विभाजन को मान्यता प्रदान नहीं करें तो अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बंटवारा किया जाकर मौके पर कब्जा भी दिलवाया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी की तलबी प्रतिवादी सं. 1 व 4 की ओर से यकील

542

श्री नाथूलाल नागर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 14.5.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। सभी पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। प्रतिवादी सं. 6 ने प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र, राजीनसमा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद प्राथमिक निर्णय-डिकी दिनांक 14.05.2022 से स्वीकार कर माल ग्राम रेलावद पहवार हलका खडिया तहसील सांगोद कि खाता सं० नया 48 की कुल 21 किता की 13.29 है० आराजीयात में वादी बद्रीलाल को 5/28 हिस्से का, प्रतिवादीगण 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1/14 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया गया तथा उक्त आराजी पर पक्षकारों की सहमति से मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार अन्यथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीशनर नियुक्त किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सांगोद द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1475 दिनांक 14.11.2025 के साथ इस आशय का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भूमि का मुआयना मौका किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम - 1955 के नियम - 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया :-

क.सं.	ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	रेलावद	बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल हि. 119/166, रोशनबाई पत्नी बद्रीलाल हि.47/166 जाति गूर्जर सा.देह रहन एसबीआई शाखा सांगोद	233 उत्तरी	0.34		
			230 दक्षिणी	0.06		
			229 दक्षिणी	0.37		
			262 दक्षिणी	0.05		
			290 दक्षिणी	0.80		
			372	1.60		
			374 उत्तरी	0.08		
			77 उत्तरी	0.02		
			कुल 8 किता	3.32 है०		
2	रेलावद	रमेशचन्द पुत्र बृजमोहन हि.1/6 गिरिराजाबाई पुत्री बृजमोहन हि.1/6 देवेन्द्र कुमार गोचर पुत्र बृजमोहन हि. 1/6 बद्रीबाई पत्नी बृजमोहन हि.1/6 राजेशबाई पुत्री बृजमोहन हि.1/6 संजू पुत्र बृजमोहन हि.1/6 जाति गूर्जर सा. देह	233 मध्य	0.34		
			230 मध्य	0.07		
			229 मध्य	0.10		
			262 मध्य	0.05		
			273 उत्तरी	0.14		
			344 उत्तरी	0.30		
			375 दक्षिणी	1.44		
			374 दक्षिणी	0.06		
			399 उत्तरी	0.80		
			77 दक्षिणी	0.01		
			कुल 10 किता	3.21 है०		

3	रेलावद	रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर हि० पूर्ण सा. देह रहन बीआरकेजीबी शाखा कमोलर	233 दक्षिणी	0.16		
			228	0.21		
			231 उत्तरी	0.20		
			242	0.07		
			245	0.07		
			241 दक्षिणी	0.10		
			262 मध्य	0.05		
			290 उत्तर	0.88		
			376	1.50		
			375 दक्षिणी	0.06		
			79 उत्तरी	0.02		
			कुल 11 किता	3.32 है०		
4.	रेलावद	रामहेत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर सा.देह रहन बीआरकेजीबी शाखा कमोलर	231 दक्षिणी	0.13		
			230 उत्तरी	0.20		
			241 उत्तरी	0.20		
			229 उत्तरी	0.18		
			262 उत्तरी	0.05		
			273 दक्षिणी	0.14		
			344 दक्षिणी	0.15		
			345	0.16		
			374 उत्तरी	1.44		
			373	0.01		
			399 दक्षिणी	0.67		
			79 दक्षिणी	0.01		
			कुल 12 किता	3.34 है०		

बहस वकील पक्षकारान की सुनी गई। चूंकि प्रत्येक सहखातेदार को संयुक्त आराजी में से अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा व लगान पृथक दर्ज करवाने का अधिकार है तथा वादी भी अपने हिस्से की आराजी का खाता व लगान पृथक-पृथक दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, अभिवचनों, साक्ष्य एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-


क्र.सं.	ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	रेलावद	बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल हि. 119/166, रोशनबाई पत्नी बद्रीलाल हि.47/166 जाति गूर्जर सा.देह रहन एसबीआई शाखा सांगोद	233 उत्तरी	0.34		
			230 दक्षिणी	0.06		
			229 दक्षिणी	0.37		
			262 दक्षिणी	0.05		
			290 दक्षिणी	0.80		
			372	1.60		
			374 उत्तरी	0.08		
			77 उत्तरी	0.02		
			कुल 8 किता	3.32 है०		
2	रेलावद	रमेशचन्द्र पुत्र बृजमोहन हि.1/6				



		गिरिराजाबाई पुत्री बृजमोहन हि.1/6 देवेन्द्र कुमार गोचर पुत्र बृजमोहन हि. 1/6 बद्रीबाई पत्नी बृजमोहन हि.1/6 राजेशबाई पुत्री बृजमोहन हि.1/6 संजू पुत्र बृजमोहन हि.1/6 जाति गूर्जर सा. देह	233 मध्य	0.34		
			230 मध्य	0.07		
			229 मध्य	0.10		
			262 मध्य	0.05		
			273 उत्तरी	0.14		
			344 उत्तरी	0.30		
			375 दक्षिणी	1.44		
			374 दक्षिणी	0.06		
			399 उत्तरी	0.80		
			77 दक्षिणी	0.01		
			कुल 10 किता	3.21 है०		
3	रेलावद	रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर हि० पूर्ण सा. देह रहन बीआरकेजीबी शाखा कमोलर	233 दक्षिणी	0.16		
			228	0.21		
			231 उत्तरी	0.20		
			242	0.07		
			245	0.07		
			241 दक्षिणी	0.10		
			262 मध्य	0.05		
			290 उत्तर	0.88		
			376	1.50		
			375 दक्षिणी	0.06		
			79 उत्तरी	0.02		
			कुल 11 किता	3.32 है०		
4.	रेलावद	रामहेत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर सा.देह रहन बीआरकेजीबी शाखा कमोलर	231 दक्षिणी	0.13		
			230 उत्तरी	0.20		
			241 उत्तरी	0.20		
			229 उत्तरी	0.18		
			262 उत्तरी	0.05		
			273 दक्षिणी	0.14		
			344 दक्षिणी	0.15		
			345	0.16		
			374 उत्तरी	1.44		
			373	0.01		
			399 दक्षिणी	0.67		
			79 दक्षिणी	0.01		
			कुल 12 किता	3.34 है०		

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक-पृथक दर्ज किये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास - श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 88/2021

बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद। -वादी-

-बनाम-

1. बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
 2. रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
 3. रामहेत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
 4. रोशनबाई पत्नी बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रेलावद तहसील सांगोद,
 5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।
- प्रतिवादीगण-


वादपत्र धारा 88, 89, 53 आरटीएक्ट

तारीख फैसला दिनांक यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रुबरु
पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर वादी एवं
प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-


क्र.सं.	ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा -	किस्म	लगान
1.	रेलावद	बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल हि. 119/166, रोशनबाई पत्नी बद्रीलाल हि.47/166 जाति गूर्जर सा.देह रहन एसबीआई शाखा सांगोद	233 उत्तरी	0.34		
			230 दक्षिणी	0.06		
			229 दक्षिणी	0.37		
			262 दक्षिणी	0.05		
			290 दक्षिणी	0.80		
			372	1.60		
			374 उत्तरी	0.08		
			77 उत्तरी	0.02		
			कुल 8 किता	3.32 है0		
2	रेलावद	रमेशचन्द पुत्र बृजमोहन हि.1/6 गिरिराजाबाई पुत्री बृजमोहन हि.1/6 देवेन्द्र कुमार गोचर पुत्र बृजमोहन हि. 1/6 बद्रीबाई पत्नी बृजमोहन हि.1/6 राजेशबाई पुत्री बृजमोहन हि.1/6 संजू पुत्र बृजमोहन हि.1/6 जाति गूर्जर सा. देह	233 मध्य	0.34		
			230 मध्य	0.07		
			229 मध्य	0.10		
			262 मध्य	0.05		
			273 उत्तरी	0.14		
			344 उत्तरी	0.30		
			375 दक्षिणी	1.44		
			374 दक्षिणी	0.06		
			399 उत्तरी	0.80		
			77 दक्षिणी	0.01		
			कुल 10 किता	3.21 है0		

3	रेलावद	रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर हि० पूर्ण सा. देह रहन बीआरकेजीबी शाखा कमोलर	233 दक्षिणी	0.16		
			228	0.21		
			231 उत्तरी	0.20		
			242	0.07		
			245	0.07		
			241 दक्षिणी	0.10		
			262 मध्य	0.05		
			290 उत्तर	0.88		
			376	1.50		
			375 दक्षिणी	0.06		
			79 उत्तरी	0.02		
			कुल 11 किता	3.32 है०		
4.	रेलावद	रामहेत पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर सा.देह रहन बीआरकेजीबी शाखा कमोलर	231 दक्षिणी	0.13		
			230 उत्तरी	0.20		
			241 उत्तरी	0.20		
			229 उत्तरी	0.18		
			262 उत्तरी	0.05		
			273 दक्षिणी	0.14		
			344 दक्षिणी	0.15		
			345	0.16		
			374 उत्तरी	1.44		
			373	0.01		
			399 दक्षिणी	0.67		
			79 दक्षिणी	0.01		
			कुल 12 किता	3.34 है०		

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक-पृथक दर्ज किये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निज ————— मुबलिंग ————— बाबत ————— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ————— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 6/3/26 को जारी की गई।


(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					
मीजान			मीजान		


(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।